न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 738–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 19–02–14 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 160/अ–6/2013–14 अपील.

एसोसियेशन फॉर कम्प्रेहेसिन रूलर असिस्टेन्स आफ
(कदारी) जिला छतरपुर, म0प्र0
व्दारा संरक्षक/अध्यक्ष डा. सेवाराम पाल
तनय लक्ष्मीराम पाल, नि0 कदारी हाल इंडिया कॉलोनी
के सामने, पन्ना रोड, छतरपुर, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1– इंडियन चर्च ट्रस्टीज, चर्च ऑफ इण्डिया
सी आई बी सी डायसीज आफ नागपुर
व्दारा विषप सी आई बी सी डायसीज
ऑफ नागपुर
2– मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

सर्वश्री नरेश तिवारी एवं अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदक
श्री जितेन्द्र सिंघई, अभिभाषक– अनावेदक क0–1

आदेश

(आज दिनांक 2.6.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 160/अ–6/2013–141 में पारित आदेश दिनांक 19–02–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम कदारी की भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 5.274 हे पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र अनावेदक इंडियन चर्च ने संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेख किया कि प्रश्नाधीन भूमि ईसाई संस्था की है। एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 आफ कदारी ईसाई मिशन की एक संस्था है। इंडियन चर्च एक्ट 1927 के अनुसार जितनी भी विदेशी ईसाई मिशन संस्था की सम्पूर्ण संपत्तियॉं एक्ट के व्दारा इंडियन चर्च ट्रस्टीज में समायोजित हुई है। एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स क्रिश्चियन हास्पिटल छतरपुर में स्थित है, ना कि ग्राम कदारी में। ग्राम कदारी में मात्र ईसाई मिशन व्दारा संचालित संस्था एसोसियेशन फार कम्प्रे0 ग्राम में गरीब व्यक्तियों के लिये कार्य करती थी जिसका समग्र कार्य कई वर्षों पूर्व बन्द कर दिया गया है। उक्त भूमि पर कब्जा व कास्तकारी इंडियन चर्च ट्रस्टीज डायसीज आफ नागपुर का रहा है और आज भी है। विचारण न्यायालय व्दारा प्रकरण पंजीबध्द किया और इश्तहार जारी कर आपत्तियॉं आमंत्रित की। विचारण न्यायालय में डा0 सेवाराम पाल व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। आपत्ति में एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स पंजीकृत सोसाइटी होना और प्रश्नाधीन भूमि इस संस्था की होकर आपत्तिकर्त्ता संस्था का प्राधिकृत सदस्य और संरक्षक होना दर्शाया गया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अधीक्षक, भू–अभिलेख (भू–प्रबन्धन), छतरपुर ने अपने आदेश दिनांक 17–09–12 में यह निष्कर्ष निकाला कि एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स आफ कदारी संस्था सागर में पंजीबध्द न होकर पूर्व के समय की संस्था है जिसके व्दारा विचाराधीन सम्पत्ति कय की गयी थी। राजस्व अभिलेख में भूमि संस्था के नाम दर्ज है, किन्तु एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स आफ कदारी नाम की संस्था काम नहीं कर रही है। इंडियन चर्च एक्ट 1927 में इस बात का उल्लेख ईसाई संस्था की सम्पत्ति इंडियन चर्च एक्ट 1927 के प्रभावी होने के बाद उसकी समस्त सपत्ति इंडियन चर्च ट्रस्टीज में निहित होगी। अतः

प्रश्नाधीन भूमि एसोसियेशन फॉर असिस्टेन्स आफ कदारी के स्थान पर चर्च आफ इण्डिया सी आई सी बी डायसीज आफ नागपुर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये।

3/ उक्त आदेश के विरूध्द आवेदक संस्था व्दारा अपील संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 23–12–13 में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण आवेदक संस्था के पक्ष में मान. व्यवहार न्यायालय व्दारा पारित आदेश के आधार पर किया गया है। संस्था असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसायटी सागर संभाग सागर से क0 5669 दिनांक 23–07–77 को पंजीकृत किया गया है। संस्था को हितबध्द पक्षकार नहीं बनाया गया और उसे सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपर कलेक्टर व्दारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक व्दारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 19–02–14 में यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यवहार न्यायालय व्दारा स्वत्व घोषणा का वाद खारिज किये जाने के आधार पर नामान्तरण किया गया है। अधीक्षक, भू–अभिलेख ने हल्का पटवारी रिपोर्ट एवं स्थल पंचनामा के उपरान्त प्रकरण में आदेश पारित किया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 04–02–13 व्दारा भूमि का विक्रय किया गया है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अतः अपर आयुक्त व्दारा अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया। अतः आवेदक संस्था व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक संस्था के अभिभाषक का तर्क है कि अधीक्षक,

भू–अभिलेख के समक्ष आवेदक संस्था के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद भी पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उसे सुनवायी का अवसर दिया गया। एक्ट 1927 किसी कार्पोरेशन समिति, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कम्पनी एक्ट या अन्य किसी भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं पर लागू नहीं होता। प्रश्नाधीन भूमियॉं पंजीयत दस्तावेजों व्दारा आवेदक संस्था ने खरीदी हैं जिस पर निरन्तर बतौर भूमिस्वामी मौके पर कब्जाधारी रहे और लगान अदा करते रहे। उनका तर्क है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक संस्था व्दारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिस पर तर्क श्रवण कर आपत्ति पर आदेश हेतु 10–2–14 नियत की गयी। नियत दिनांक 10–2–14 को आपत्ति पर कोइ आदेश पारित नहीं किया गया और अपर आयुक्त ने अंतिम तर्क सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है। अनावेदक क0–1 के विशप/आर्चिडकन श्री हीरा मसीह व्दारा अपर आयुक्त के समक्ष आवेदनपत्र शपथपत्र एवं दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर अपील प्रकरण निरस्त करने का अनुरोध किया था। उनका तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि विशप श्रीधर इंगले व्दारा छलपूर्वक बिना आधार के चर्च आफ इंडिया के नाम दर्ज करायी गयी है। श्रीधर इंगले को विशप पद से चर्च आफ इंडिया के मेट्रोपोलिटन व्दारा दिनांक 6–1–14 को निलम्बित कर दिया गया है और आर्चिडकन श्री हीरा मसीह को विशप पद पर नियुक्त किया है। श्री हीरा मसीह व्दारा इसी स्तर पर अपील निरस्त करने का अनुरोध अपर आयुक्त से किया जिस पर अपर आयुक्त व्दारा विचार नहीं किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर अपर कलेक्टर के आदेश को बहाल करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक क0–1 की ओर से दिनांक 26–5–14 को जबाव एवं अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें प्रश्नाधीन भूमि आवेदक संस्था के स्वामित्व की होना और उससे अनावेदक क0–1 का कोई संबंध किसी भी

प्रकार से नहीं होना दर्शाया है। जबाव में यह अंकित किया गया है कि इंडियन चर्च आफ ट्रस्टीज के मेट्रोपालीटन एवं चेयरमैन को जब यह जानकारी हुई कि विषप श्रीधर इंगले ने छलपूर्वक भूमि संस्था के नाम दर्ज करायी है, तब विषप श्रीधर इंगले को दिनांक 06–01–2014 को तत्काल प्रभाव से विषप के पद से निलम्बित कर दिया गया है व उनका प्रभार रेवहरण फादर हिरा मसीह, जो कि चर्च मुरार, ग्वालियर के मुख्य पादरी है व नागपुर डायोसिय के एक आर्चीडियन हैं, को मुख्य कार्यवाहक विषप नियुक्त किया है। जबाव में निगरानी में इण्डियन चर्च आफ ट्रस्टीज, चर्च आफ इण्डिया कोई भी कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं चाहना अंकित किया गया है।

6/ अनावेदक क0–2 शासन के अधिवक्ता व्दारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

7/ राजकुमार गुप्ता अन्य 6 के अभिभाषक श्री संजय खरे व्दारा सी पी सी के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि राजकुमार गुप्ता आदि व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विकयपत्र व्दारा कय कर मालिकाना हक प्राप्त किया है, इसलिये विचाराधीन प्रकरण में आवश्यक एवं हितबध्द पक्षकार हैं, इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया जाकर सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाय। इस संबध में उन्होंने विकयपत्रों की फोटो प्रतियॉ भी प्रस्तुत की गयी है।

8/ प्रकरण के तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से प्रश्नाधीन भूमि एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स आफ कदारी संस्था सागर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। इंडियन चर्च एक्ट 1927 के अन्तर्गत ईसाई संस्था की सम्पत्ति इंडियन चर्च एक्ट 1927 के प्रभावी होने के बाद इंडियन चर्च ट्रस्टीज में निहित होने के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय व्दारा दिनांक 14–2–12 को इश्तहार जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित करने पर आवेदक संस्था की ओर

से डा. सेवाराम पॉल व्दारा आपत्ति दस्तावेजों सहित दिनांक 16–3–12 को प्रस्तुत की गयी। विचारण न्यायालय के आदेश–पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि दिनांक 28–3–12 को आपत्तिकर्त्ता सेवाराम पाल की ओर से उनके अधिवक्ता विनोद खरे उपस्थित हुए और उभय पक्ष व्दारा दस्तावेज चाहे जाने पर प्रदाय करने के आदेश दिये गये। आपत्तिकर्त्ता श्री पाल के अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपस्थित रहे और विचारण न्यायालय ने दिनांक 27–7–12 को अनिवार्यतः अपने जबाव प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये और प्रकरण दिनांक 08–08–12 को नियत किया। नियत दिनांक 8–8–12 को आपत्तिकर्त्ता के अधिवक्ता व्दारा जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया और विचारण न्यायालय अधीक्षक,भू–अभिलेख व्दारा प्रकरण परीक्षण हेतु रखा और तत्पश्चात दिनांक 17–9–12 को आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक संस्था को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर विचारण न्यायालय व्दारा प्रदाय किया गया। प्रकरण में आवेदक संस्था को पक्षकार नहीं बनाया गया था तो उनके व्दारा पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता था, किन्तु उनके व्दारा पक्षकार बनाने का अनुरोध विचारण न्यायालय में नहीं किया गया। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय व्दारा पक्षकार बनाये बिना उन्हें पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है, इसलिये इस संबंध में आवेदक संस्था व्दारा प्रस्तुत तर्क मान्य योग्य नहीं है।

9/ विचारण न्यायालय ने आवेदक संस्था के पंजीयन के संबंध में कार्यालय असि0 रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें, सागर संभाग, सागर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, सागर संभाग, सागर ने अपने ज्ञाप क0 छतर–विविध/443/12 दिनांक 01–6–12 में यह अंकित किया गया है कि इस कार्यालय व्दारा ट्रस्ट का पंजीयन नहीं किया जाता है और न ही संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही की जाती है। संस्था के

पंजीकृत होने की जानकारी कृपया आवेदक से प्राप्त करें तथा यदि उक्त संस्था म0प्र0सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पाई जाती है तो उसकी जानकारी से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। आवेदक व्दारा संस्था म0प्र0सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत पंजीकृत होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीक्षक, भू–अभिलेख ने बुन्देलखण्ड मसीही मिस समाज, छतरपुर से भी आवेदक संस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी है। अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज ने अपने ज्ञाप दिनांक 11–06–12, जो विचारण न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 133 पर उपलब्ध है, में यह दर्शाया है कि 'ऐका' संस्था कई वर्ष पूर्व ग्राकम कदारी में कार्यरत थी। 'ऐका' संस्था का बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज से कोई संबंध नहीं है। वह एक प्रायवेट संस्था के रूप में स्वतः कार्य कर रही थी। हमें उनके पदाधिकारियों एवं कार्यों की काई भी विधिवत जानकारी आज तक नहीं है। पटवारी हल्का नं0 77 कदारी से भी अधीक्षक, भू–अभिलेख व्दारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। पटवारी व्दारा मौका पंचनामें सहित प्रतिवेदन अधीक्षक, भू–अभिलेख के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स आफ कदारी नाम की संस्था काम नहीं कर रही तथा भूमि पर कब्जा रामस्वरूप तनय रामनाथ चौबे, गोकल, बालकिशन, भगोला वगैरह का दर्शाया गया तथा शासन के पक्ष में कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आपत्ति के साथ अनेक्चर–5 संलग्न किया गया है, जो विचारण न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 113 पर है। यह फोटो प्रति चेयरमैन, ए सी आर ए की है जिसमें डा0 एस आर पाल को एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स का मेम्बर होना प्रमाणित किया गया है। ऐसी दशा में आवेदक पाल का निगरानी में यह दर्शाना कि वह संस्था का अध्यक्ष एवं संरक्षक है, मान्य योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय अधीक्षक, भू–अभिलेख ने एसोसियेशन आफ कम्प्रे0 रूलर असिस्टेन्स नामक संस्था कई वर्षों से निष्क्रिय होने व उसका विधिवत पंजीयन नहीं होने से इंडियन चर्च एक्ट 1927

के प्रभावी होने के बाद उनकी समस्त संपत्ति इंडियन चर्च ट्रस्टीज में निहित होने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर चर्च आफ इंडिया, सी आई बी सी डायसीज आफ नागपुर के नामान्तरण के आदेश दिये हैं जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

10/ इस प्रकरण में अनावेदक क0–1 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना तथा इंडियन चर्च आफ ट्रस्टीज के मेट्रोपालीटन एवं चेयरमैन व्दारा विषप श्रीधर इंगले को दिनांक 06–01–2014 को तत्काल प्रभाव से विषप के पद से निलम्बित कर उनका प्रभार उन्हें दिया जाना बताया है। चर्च आफ इंडिया सी आई वी सी के विषप (अध्यक्ष) श्रीधर इंगले व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकयपत्रों व्दारा विकय की जा चुकी है और केतागण ने इस न्यायालय में पक्षकार बनाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत नामान्तरण की कार्यवाही राजस्व पदाधिकारी व्दारा स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात की जाती है तथा विकयपत्रों को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी दशा में स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराया जाना उचित प्रतीत होता है और अनावेदक क0–1 के जबाव के आधार पर भूमि पंजीयत विकयपत्रों व्दारा विकय हो जाने के बाद निगरानी स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है।

11/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त, सागर संभाग का आदेश दिनांक 19–02–2014 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0